



तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFAPUR
AN ISO 22000:2005 & HACCP SYSTEM CERTIFIED ORGANISATION, P.O.-
KOLUHA PAIGAMBARPUR, MUZAFFARPUR-843108(BIHAR) 0621-
2235049(TEL/FAX), 2264030(PBX)



संशोधित निविदा प्रपत्र

(सुधा दूध, दुग्ध उत्पाद एवं अन्य सुधा उत्पादों के परिवहन, वितरण एवं विपणन
के लिए वितरक नियुक्ति हेतु निविदा प्रपत्र)

(निविदा सूचना:4003 दिनांक 07.07.2025)

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का शुल्क : ₹0 500/- (वापसी योग्य नहीं)

मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र

निविदा प्रपत्र बिक्री/प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 05.08.2025 (11:00 ए0एम0 से 4:00 पी0एम0 तक)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 11.08.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक तिमूल मुख्यालय के स्थापना शाखा में
प्राप्त हो जाना चाहिए।

निविदा खुलने की तिथि: 13.08.2025 को अपराह्न 12:00 पी0एम0 (तिथि परिवर्तन होने पर उसकी सूचना दी जाएगी)

सेटेलाईट क्षेत्र

निविदा प्रपत्र बिक्री/प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 05.08.2025 को (11:00 ए0एम0 से 4:00 पी0एम0 तक)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 11.08.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक तिमूल मुख्यालय के स्थापना शाखा में
प्राप्त हो जाना चाहिए।

निविदा खुलने की तिथि: 19.08.2025 को अपराह्न 12:00 पी0एम0 (तिथि परिवर्तन होने पर उसकी सूचना दी जाएगी)

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

पथ/क्षेत्र का नाम :

(जिसके लिए निविदा भरी जा रही है)

निविदादाता का नाम

निविदा प्रपत्र खरीद शुल्क 500/- ₹0 की मनी रसीद संख्या/डी0डी0 संख्या दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

(इस पृष्ठ को प्री-क्वालिफिकेशन बीड के साथ जमा करना अनिवार्य है)

नोट:- कृपया निविदा भरने से पूर्व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर (यदि हो)

निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं शर्तें-

- (1) (क) किसी भी निविदादाता को दूध अथवा दुग्धजन्य उत्पादों को मिलाकर एक पथ/रुट (पूर्व से आवंटित पथ/रुट एवं निकाली गई निविदा के उपरांत आवंटित होने वाले पथ/रुटों को मिलाकर) का ही वितरक बनाया जा सकता है। (पथों का ब्यौरा कृपया परिशिष्ट - 1 पर देखें)।
(ख) कॉम्पेड से संबद्ध किसी संघ/इकाई से हटाए गए वितरक या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा गिरायी गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ग) तिमूल अन्तर्गत जिन पथों/क्षेत्रों में वितरक नियुक्ति हेतु निविदा प्रकाशित की गई है वहाँ पर वर्तमान में कार्यरत वितरक या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपरोक्त पथों/क्षेत्रों के लिए डाले गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा संबंधित व्यवसाय में खराब प्रदर्शन के कारण ही उनको आवंटित पथों में वितरक नियुक्ति हेतु निविदा प्रकाशित की गई है।
- (2) वैसे निविदादाता जिनके द्वारा पथों की विवरणी परिशिष्ट-1 के क्र०सं०: 01 से 08 तक में उल्लिखित पथों/क्षेत्रों के लिए आवेदन करने पर दूध / दुग्ध उत्पाद/ शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/ एफ.एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/ प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है साथ ही क्र०सं०: 09 से 11 पथों/क्षेत्रों में आवेदन करने पर दूध / दुग्ध उत्पाद/ शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/ एफ.एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/ प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। (निविदादाता कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु संबंधित संस्था/कंपनी/फर्म से निर्गत अधिकृत दस्तावेज की स्वःअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे)।
- (3) निविदा प्रपत्र में प्रि-क्वालिफिकेशन बीड (टेक्निकल बीड) एवं वित्तीय बीड प्रपत्र अलग-अलग संलग्न है। पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रि-क्वालिफिकेशन बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे (दो लिफाफे) में रख कर पूरी तरह बंद कर उस पर अलग-अलग प्रि-क्वालिफिकेशन बीड एवं वित्तीय बीड लिखना अनिवार्य है। उन दोनों बंद लिफाफों को तीसरे बड़े लिफाफे में रख कर उसे पूरी तरह बंद कर उसके उपर अपना नाम, वर्तमान पता एवं मोबाईल न० के अतिरिक्त निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि, आवेदित विपणन पथ/क्षेत्र का नाम लिखकर निम्न पते पर भेजें:- सेवा में, प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर, पो०-कोल्हुआ पैगम्बरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर-843108 (बिहार)। पूर्ण रूप से भरे हुए बंद लिफाफे में रखे निविदा प्रपत्र को रजि०/स्पीड पो०/कुरियर/स्वयं के द्वारा उपर उल्लिखित तिथि तक निर्धारित समयावधि में तिमूल मुख्यालय के स्थापना शाखा (प्रशासनिक शाखा) में जमा करना/प्राप्त होना अनिवार्य है।
- (4) निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। सशर्त/ई-मेल पर भेजी गई निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
- (5) सर्वप्रथम प्रि-क्वालिफिकेशन बीड (टेक्निकल बीड) खोला जायगा। वित्तीय/प्राइस बीड उन्हीं निविदादाता का खोला जायगा, जो प्रि-क्वालिफिकेशन बीड में सफल होंगे।
- (6) प्रि-क्वालिफिकेशन बीड में आवश्यक शर्तों के संदर्भ में प्रमाण के रूप में मांगे गये दस्तावेज या उसके अनुरूप मानक पूरा नहीं करने पर आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय (प्राइस) बीड निविदा को नहीं खोला जाएगा जिसके कारण आवेदक का निविदा स्वतः समाप्त हो जायगी।
- (7) आवेदक का हाल का ०२ पासपोर्ट साइज फोटो- (9) प्रि-क्वालिफिकेशन बीड में निर्धारित स्थल पर चिपकाना है एवं (२) प्रि-क्वालिफिकेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना है।
- (8) प्रि-क्वालिफिकेशन बीड की कंडिका 02, 04, 09, 15 एवं महत्वपूर्ण कंडिका 02 की अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाली निविदाएँ असफल समझी जायगी।
- (9) सभी निविदादाताओं को अग्रधन राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर के नाम पर मुजफ्फरपुर में भुगतये होना चाहिए प्रि-क्वालिफिकेशन बीड के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है। अग्रधन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रि-क्वालिफिकेशन बीड में अयोग्य करार दिए जाने पर उस राशि को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के एक माह के अंदर संबंधित निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही सफल निविदादाताओं की अग्रधन राशि जमानत राशि के विरुद्ध समायोजित कर ली जाएगी।
- (10) निविदा प्रपत्र में कटिंग/ओवरराइटिंग पाए जाने पर निविदा स्वीकार नहीं किया जायगा।
- (11) दर, अंक एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित होना अनिवार्य है।
- (12) निविदा प्रपत्र अधूरा भरा पाए जाने पर रद्द समझा जायगा।
- (13) निविदा प्रपत्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- (14) बिक्री किये गए निविदा प्रपत्र को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जायगा।
- (15) निविदा खुलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (अधिकृत करने से संबंधित पत्र निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे कार्यालय में निविदा खुलने से पूर्व जमा करना होगा) उपस्थित रह सकते हैं।

- (16) सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के पूर्व कम्प्यूटरीकृत कार्यालय, डीपफ्रीज, डी०जी० सेट/वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था/इनवर्टर, आवश्यकतानुसार कर्मचारी, टेलिफोन/मोबाईल सुविधा, गाड़ी का इन्सुलेशन इत्यादि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराना होगा। इन व्यवस्थाओं के निरीक्षण के उपरान्त ही कायदेश निर्गत किया जायगा। निर्धारित तिथि तक उपरोक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर पाने में असफल होने वाले निविदादाता का कार्यावंटन रद्द करते हुए उनकी अग्रधन राशि जब्त कर ली जायगी।
- (17) कार्य आरंभ करने के पूर्व निविदादाता को निर्धारित जमानत राशि एवं बैंक गारन्टी तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र जमा कर एकरारनामा करना होगा।
- (18) डीजल दर में न्यूनतम रु० ३/- प्रति लीटर वृद्धि/कमी होने पर गाड़ी के डीजल के खपत एवं क्षमता के आधार पर परिवहन मार्जिन संशोधित किया जायेगा, जो निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि को आधार मानकर गणना की जायेगी।
- (19) चयनित निविदादाता को वितरक नियुक्ति पत्र/ कायदेश पत्र निर्गत करने के दस दिनों के अंदर दूध के साथ दूधजन्य पदार्थ, मधु एवं अन्य सुधा उत्पादों का परिवहन, वितरण एवं विपणन कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ के परिवहन एवं वितरण के मद में वितरक मार्जिन, परिवहन शुल्क एवं दूध पाउच में लिकेज का भुगतान संघ के नियमानुसार किया जायगा।
- (20) निविदा खुलने की तिथि को यदि अवकाश का दिन घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद आने वाले पहले कार्यदिवस को निविदा खोली जायगी।
- (21) चयनित निविदादाता को परिवहन एवं वितरण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सभी वाहनों को डेयरी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप इन्सुलेटेड करना आवश्यक होगा। डेयरी के मापदंड के अनुसार वाहन छः तरफ से कम से कम दो इंच मोटाई वाला इन्सुलेटेड मैटेरियल से युक्त होना चाहिए।
- (22) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (23) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर युक्तिसंगत होना अनिवार्य है। निविदा खुलने के समय कमिटी द्वारा दर युक्तिसंगत नहीं पाये जाने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः आपको निविदा खुलने के समय कमिटी को दर का विस्तृत विवरण/ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (24) दर अंकित, गली/मुहल्ले/संकीर्ण रास्ते में एक अलग से छोटी वाहन/ऑटो द्वारा दूध/दुग्ध उत्पाद वितरण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना होगा।
- (25) वर्तमान में कार्यरत वितरक को **Performance Certificate** संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (26) निविदादाता के पास यदि अपनी गाड़ी नहीं है तब वे अनुबंध पर वाहन (अस्थायी तौर पर) ले सकते हैं जिसका प्री-क्वालिफिकेशन बीड के कंडिका (13) में उल्लिखित वाहन के कागजात की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना एवं चयनित होने के तुरंत पश्चात् अनुबंध पर लिए गए वाहन/स्वयं के वाहन को तिमूल मुख्यालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। चयन के तुरंत पश्चात् स्वयं/अनुबंध के वाहन का निरीक्षण नहीं कराने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपके पास वितरक कार्य हेतु वाहन नहीं है। वैसी स्थिति में आपके चयन को रद्द करते हुए आपके अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं अन्य निविदादाता को मौका दिया जा सकता है।
- (27) वितरक के रूप में चयनित निविदादाता को अपने आवंटित पथ/क्षेत्र के रिटेलरों/विक्रेताओं से दूध, दुग्ध उत्पाद, मधु एवं अन्य सुधा उत्पादों की मांग एवं राशि बहुविकल्प व्यवस्थाओं के तहत एवं आवश्यकतानुसार रिटेलरों के अनुरोध पर उनके मिल्क बूथ/मिल्क पार्लर से प्राप्त करना होगा।
- (28) भविष्य में दूध/दुग्ध उत्पादों के मांग में वृद्धि की संभावना को देखते हुए वाहन की अनिवार्य संख्या एवं प्रकार में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ ही जमानत एवं बैंक गारंटी की राशि में भी वृद्धि की जा सकती है।
- (29) No Dues प्रमाण पत्र विपणन शाखा द्वारा निर्गत किया जाएगा।
- (30) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति प्री-क्वालिफिकेशन बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (31) निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- की जमा मनी रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (32) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदादाता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए (मैट्रिक पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार उम्र की गणना की जाएगी)।
- (33) निविदादाता को 1000/- रु० के ननजुडिशियल स्टॉप पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा की उनके या उनके फर्म को किसी भी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्धसरकारी) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है एवं उनके उपर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
- (34) क. जमानत की राशि के स्थान पर सुरक्षा राशि शब्द का इस्तेमाल एवं राशि में परिवर्तन किया जा रहा है।
ख. निविदा में वितरक नियुक्ति हेतु प्रकाशित पथों/क्षेत्रों की अनुमानित दूध एवं दुग्धजन्य उत्पादों की औसतन बिक्री की समतुल्य राशि की तीन गुणा राशि पथों की विवरणी में समाहित की जा रही है।

नोट: बिना कोई कारण बताये प्राप्त निविदाओं/उसमें उल्लिखित शर्तों को आंशिक या पूर्ण रूपेण रद्द/संशोधित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, तिमूल को सुरक्षित होगा। इसमें निविदादाताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपर उल्लिखित सभी शर्तों को देखा, पढ़ा एवं स्वीकार किया।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(ऑफिस मोहर के साथ यदि हो)



तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH
LTD., MUZAFFARPUR
AN ISO 22000:2005 & HACCP SYSTEM CERTIFIED
ORGANISATION, P.O.-KOLUHA PAIGAMBARPUR,
MUZAFFARPUR-843108(BIHAR) 0621-
2235049(TEL/FAX).2264030(PBX)

खण्ड (क)

आवेदनकर्ता अपने हाल
का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट
साईज फोटो यहाँ
चिपकाये ।

(प्रि-क्वालिफिकेशन बीड)

(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

(1) पथ का नाम :-

(2) आवेदक का पूरा नाम :-
(फोटो पहचान पत्र-ड्राईविंग लाईसेंस/
वोटर आईडी/आधार कार्ड की छाया
प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

(3) जन्म तिथि :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

दिन माह वर्ष

(4) शैक्षणिक योग्यता :-

(न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(5) स्थायी पता :-

(6) पत्राचार का वर्तमान पता :-

(7) दूरभाष संख्या- निवास स्थल :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कार्यालय :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मोबाईल :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(8) आवेदक का अस्तित्व

क. स्वयं का स्वामित्व

ख. साझेदारी

ग. कम्पनी

उपरोक्त (ख एवं ग) से संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें ।)

(9) अग्रधन राशि (रु०) :-(.....रुपया)

(क) बैंक ड्राफ्ट सं० :-

दिनांक :-

(ख) बैंक का नाम :-

निर्गत करने वाली शाखा :-

नोट:- अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट "तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०" के पक्ष में तथा मुजफ्फरपुर में भुगतान होना चाहिए। निविदा में अयोग्य करार दिए हुए निविदादाता की अग्रधन राशि को उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा।

(10) वर्तमान व्यवसाय का विवरण :-

(11) दूध/दुग्धजन्य पदार्थों के अनिवार्य संरचनाओं का व्यौरा (यदि उपलब्ध है) :

(क) स्थल (कार्यालय/भंडार) का क्षेत्रफल :-

(ख) डीपफ्रीज की सं० तथा क्षमता :-

- (12) **वित्तीय योग्यता**- निविदादाता द्वारा आवेदित पथ/रुट/क्षेत्र के अनुमानित दूध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रतिदिन औसतन बिक्री की राशि की तीन (3) गुणा राशि के समतुल्य राशि उनके बैंक खाते में जमा होना अनिवार्य है। निविदादाता के बैंक खाते में निविदा भरने की अंतिम तिथि के छः माह पूर्व की औसत मासिक जमा राशि अनुमानित बिक्री की राशि के तीन (3) गुणा राशि के समतुल्य होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज के रूप में आवेदक के बैंक के खाते में उपर उल्लिखित राशि जमा रहने का बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र / पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं० दर्ज हो तथा संबंधित पासबुक के छः माह के बैंक स्टेटमेंट की पृष्ठों की छायाप्रति जिसमें अनुमानित बिक्री की राशि के तीन (3) गुणा राशि की समतुल्य राशि (औसतन) जमा रहने का प्रमाण मिलता हो, की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। हलेश्वर स्थान-साहियारा पथ, डुमरवना- जमुओं पथ एवं बड़कागोंव - कुसौधी नवगठित ग्रामीण पथ होने के कारण उपर उल्लिखित बैंक में जमा राशि की शर्त अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगी परंतु इन नवगठित ग्रामीण विपणन क्षेत्रों के लिए निविदा डालने वाले निविदादाता के पास व्यवसाय योग्य पूंजी होना आवश्यक है जिसके प्रमाण पत्र के रूप में बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं० दर्ज हो तथा व्यवसाय योग्य पूंजी की राशि भी दर्ज हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट: आवेदित विपणन पथ/क्षेत्र की अनुमानित दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री की राशि की विवरणी पथों की विवरणी परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित है।

- (13) आवेदक के नाम वाहनों का विवरण (वाहन पाँच वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)
- (क) वाहनों का प्रकार निबंधन सं० वैधता की तिथि स्वमित्व/अनुबंध
- 1.
 - 2.
 - 3.
- (ख) उपलब्ध वाहन इनसुलेटेड है अथवा नहीं। यदि नहीं तब कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुरूप इंसुलेटेड कराना आवश्यक है।
- (ऑनर बुक, फिटनेस, रोड परमिट, इंश्योरेंस प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
- अनुबंध पर लिए गए वाहन का उपर उल्लिखित कागजात/प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अनुबंध/एकरारनामा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (14) वैसे निविदादाता जिनके द्वारा पथों की विवरणी परिशिष्ट-1 के क्र०सं०: 01 से 08 तक में उल्लिखित पथों/क्षेत्रों के लिए आवेदन किया जाता है तब उन्हें दूध / दुग्ध उत्पाद/ शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/ एफ.एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/ प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है साथ ही क्र०सं०: 09 से 11 पथों/क्षेत्रों में आवेदने करने पर दूध / दुग्ध उत्पाद/ शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/ एफ.एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/ प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। (निविदादाता के कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु संबंधित संस्था/कंपनी/फर्म से निर्गत अधिकृत दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे)।
- (क) खाद्य पदार्थ का नाम :-
- (ख) अवधि :-
(अनुभव प्रमाण पत्र, कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)
- (15) (क) जी०एस०टी० निबंधन संख्या :-
(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है) आवेदित भी मान्य होगा।
- (ख) पैन नम्बर :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।)
- (16) प्रत्येक पथ के लिए गाड़ी की संख्या परिशिष्ट-1 के अनुसार कार्य आवंटन से पूर्व होना अनिवार्य है।

—सत्यापन—

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में दी गई सूचनाएं/जानकारियाँ सत्य हैं। इनसे संबंधित मूल दस्तावेज जांच के लिए उपलब्ध हैं। इन जानकारीयों/सूचनाओं के किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी बिना कारण बताए स्वतः रद्द समझी जायेगी। निविदा की सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

स्थान :-

निविदादाता का हस्ताक्षर
ऑफिस मोहर के साथ (यदि हो)।

दिनांक :-

चेकलिस्ट

अनुलग्नक :-

निशान ✓ लगावें

- | | | | |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1) | पासपोर्ट साईज का फोटो (कंडिका-07 में उल्लिखित)। | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 2) | फोटा पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस)।
(प्री-क्वालिफिकेशन के कंडिका 02 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 3) | शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10 वीं पास हो प्रमाण पत्र की प्रति।
(प्री-क्वालिफिकेशन के कंडिका 04 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 4) | वित्तीय योग्यता (प्री-क्वालिफिकेशन बीड के कंडिका 12 में उल्लिखित)
निविदादात के पक्ष में बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र/पासबुक की छायाप्रति संलग्न। | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 5) | अपना वाहन नहीं होने की स्थिति में दूसरे से अनुबंध पर लिए गए वाहन की
एकरारनामा की छायाप्रति। (प्री-क्वालिफिकेशन के कंडिका 13 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 6) | वर्तमान में कार्यरत वितरक का परफॉर्मंस सर्टिफिकेट।
(कंडिका 25 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 7) | वर्तमान में कार्यरत वितरक का No Dues प्रमाण पत्र (विप0 शाखा द्वारा निर्गत)
(कंडिका 29 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 8) | जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति/जीएसटी निबंधन प्रमाण पत्र हेतु
आवेदन किए गए Acknowledgement की छायाप्रति।
(प्री-क्वालिफिकेशन के कंडिका 15 (क) में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 9) | आधार एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न (महत्वपूर्ण शर्तों के कंडिका 30 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 10) | निर्धारित अग्रधन राशि 50,000/- (पचास हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न
(महत्वपूर्ण शर्तों के कंडिका 09 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |
| 11) | निविदा शुल्क 500/- रु0 की मनी रसीद/बैंक ड्राफ्ट की फोटोप्रति प्री-क्वालिफिकेशन
बीड के साथ संलग्न (महत्वपूर्ण शर्तों के कंडिका 31 में उल्लिखित) | ☐ हाँ | ☐ नहीं |

निविदादाता का हस्ताक्षर



तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFAPUR
AN ISO 22000:2005 & HACCP SYSTEM CERTIFIED
ORGANISATION, P.O.- KOLUHA PAIGAMBARPUR, MUZAFFARPUR-
843108(BIHAR) 0621-2235049(TEL/FAX), 2264030(PBX)

वित्तीय/प्राईस बीड
(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

- (1) पथ का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है) :-
- (2) आवेदक का पूरा नाम :-
- (3) उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम परिवहन दर प्रति लीटर = रु0 पै0 प्रति लीटर (शब्दों में रु0 पैसे) ।
- (4) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर युक्तिसंगत होना अनिवार्य है । निविदा खुलने के समय कमिटी द्वारा दर युक्तिसंगत नहीं पाये जाने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । अतः आपको निविदा खुलने के समय कमिटी को दर का विस्तृत विवरण/ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

—सत्यापन—

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि जो भी सूचना निविदा प्रपत्र में अंकित की गई है वह हमारी जानकारी में सत्य है। अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना/जानकारी असत्य साबित होती है तब मेरी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायगी जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँगा।

स्थान :-

निविदादाता का हस्ताक्षर
(ऑफिस मुहर के साथ यदि हो)

दिनांक :-

नोट:- इस प्रपत्र को अलग लिफाफा में भरकर जमा करें ।

तिरुवल अन्तर्गत विधान पथों/क्षेत्रों का विवरण
मुजफ्फपुर शहर में स्थित विधान पथ/क्षेत्र

क्र. सं.	पथ/क्षेत्र का नाम	विवरण क्षेत्र का नाम	अनुमानित चरम दूरी (मी/दिन)	अनुमानित दूरी उत्पन्न की जायेगी (वर्ग मी)	प्रति दिन लगाने की जायेगी (किग्रा)	गाड़ी की प्रकार, अनिवार्य सं.	दूरी एवं दूरी उत्पन्न की जायेगी (अनुमानित) की राशि (अनुमानित)	सुझा राशि (रु.)	दैनिक गाड़ी राशि (रु.)	अनुमान
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुजफ्फपुर सड़क-02	मुजफ्फपुर सड़क से - ब्रह्मपुरा क्षेत्र, लक्ष्मी चौक क्षेत्र, मुल्लिस लाईन क्षेत्र, महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज रोड, बौदनी चौक क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र, बृजबिहारी गली, किल्ला घाट क्षेत्र, संगम चौक क्षेत्र इत्यादि।	2500 ली/दिन	100000 रु	24 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	7.25,000/- (सात लाख पचास हजार) रु	500000/- (पाँच लाख)	2,25,000/- (दो लाख पचास हजार)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
2	मुजफ्फपुर सड़क-03	मुजफ्फपुर सड़क से - बेबीमज एनएस भगवानपुर, भगवानपुर घाटटी क्षेत्र, यादवनगर, सहजानंद कॉलोनी, नामसराह द्वार, डुमरी, गोबरसही गुमटी चौक (एनएस), एनवीएस साईंस कॉलेज, मझिलिया एनएस, खबर एनएस, प्रभात तारा अस्पताल रोड, श्रमजीवी नगर, फरदा रोड, नेल कॉलोनी इत्यादि।	3000 ली/दिन	100000 रु	65 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	8,00,000/- (आठ लाख) रु	500000/- (पाँच लाख)	3,00,000/- (तीन लाख)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
3	मुजफ्फपुर सड़क-07	मुजफ्फपुर सड़क से बैंक रोड, जवाहर लाल रोड, कल्याणी, दीवान रोड, हाथी चौक, पी एच टी चौक, गोशाला चौक, बेला रोड, सेरपुर, नारायणपुर अनाद, मिठनपुर, कलब रोड, इत्यादि।	3000 ली/दिन	100000 रु	60 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	8,00,000/- (आठ लाख) रु	500000/- (पाँच लाख)	3,00,000/- (तीन लाख)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
4	मुजफ्फपुर सड़क-08	मुजफ्फपुर सड़क/ सड़क से - मरसा चौक, आजाद रोड, चंदवारा बाबा रोड, सोडा गोशाला रोड, पक्की सराय, मोला चौक, बाकेसाह चौक, जेल चौक, मालीबाट, बी.एम.पी-06 रोड, डुमरी, बुनामटटी, कन्होली, लेमोसी मिशन, राजपुर टाला, बावन बीबा, खादी भंडार रोड, सरस्वती नगर, रामबाग चौड़ी, रामबाग रोड, मेहरा ग्राउंड रोड, गोशाला रोड, मरिनाद चौक, नकुलवा चौक, चतुर्भुजस्थान रोड, कालीबाड़ी रोड इत्यादि।	4000 ली/दिन	100000 रु	60 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	8,00,000/- (आठ लाख) रु	500000/- (पाँच लाख)	3,00,000/- (तीन लाख)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
5	मोहिहरी जंगल-01	मोहिहरी सड़क से कोट बाजार, राजा बाजार, बलुआ, आजाद नगर, बौदनी क्षेत्र, एमएस कॉलेज रोड, अंबिका नगर, बंजरिया धाना, बैलाहा, रघुनाथपुर क्षेत्र इत्यादि।	2000-2500 ली/दिन	120000 रु	30 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	7,75,000/- (सात लाख पचास हजार) रु	500000/- (पाँच लाख)	2,75,000/- (दो लाख पचास हजार)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
6	मोहिहरी जंगल-02	मोहिहरी सड़क से - सरार अस्पताल रोड, टाउन धाना, बेलवनवा, स्टेशन रोड, ज्ञान बाबू चौक, जानपुल, सिंघिया गुमटी, हेन्सी बाजार, मीना बाजार, श्रीकृष्ण नगर, आर्यसनाल रोड, बैंक रोड, पंचमहिर, गोला चौक इत्यादि।	2000-2500 ली/दिन	120000 रु	30 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	7,75,000/- (सात लाख पचास हजार) रु	500000/- (पाँच लाख)	2,75,000/- (दो लाख पचास हजार)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
7	मोहिहरी जंगल-03	मोहिहरी सड़क से - बनकट, बरियापुर, बाघपार, हवाई अड्डा रोड, चौकी मिल रोड, डेमवा चौक, क्लॉक, सहमानिया, बड़ा बरियापुर, बसविलिया, छत्तौनी, मत्तौवा, मटिया, जीरात, बस स्टैंड क्षेत्र, अक्खेश चौक, कुआरी देवी चौक, कोईलहरवा चौक इत्यादि।	2000-2500 ली/दिन	120000 रु	30 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	7,75,000/- (सात लाख पचास हजार) रु	500000/- (पाँच लाख)	2,75,000/- (दो लाख पचास हजार)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
8	छपवा-रकसाल पथ	मोहिहरी सड़क से - छपवा, गुगलौरी, समनदा, रकसाल इत्यादि।	2000-ली/दिन	200000 रु	70 किग्रा/मी	टाटा 407-01, एच छोटी गाड़ी पिकअप/टाटा एसीई या समकक्ष-01	10,00,000/- (दस लाख) रु	800000/- (आठ लाख)	4,00,000/- (चार लाख)	दूध/दुध उत्पाद/शौच खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एच.एस.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

सेटलाईट क्षेत्र में स्थित विपणन पथ/क्षेत्र

क्र. सं०	पथ/क्षेत्र का नाम	वितरण क्षेत्र का नाम	अनुमानित व्युत्पन्न दूध लिट्रों (ली०/दिन)	अनुमानित दूध उत्पाद की लिट्रों (ली० में)	प्रति लिटर दूध की जानेवारी अनुपात आने एवं जाने (कि०मी०)	गाड़ी की प्रकार, अनिवार्य सं०	दूध एवं दुग्ध उत्पादों के तीन दिन की लिट्रों के टर्न ओवर की राशि (अनुमानित)	सुझा राशि (रु०)	बैक गारंटी राशि (रु०)	अनुपथ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	इलेक्टर स्थान-सहिवाड़ा पथ	सीतामढ़ी, प्लांट से - चनुपुरा, फराहपुर, पुनरहिवा, ओसावा, सहिवाड़ा, सितलवाटटी, पटनिया, बगईबाग, फौसाही, इसलामपुर, बटुआ इत्यादि।	1000 ली०/दिन	20000 रु० लगभग	114 कि०मी०	टाटा 407-01, या समकक्ष	2,25,000/- (दो लाख पचास हजार) रु०	2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)	0	दूध/दुग्ध उत्पाद/शौध खराब होने वाले खादय पदार्थ/एक एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रकटन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुपम होने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
10	डुमरवना-जमुओं पथ	सीतामढ़ी प्लांट से डुमरवना, बेल चौक, जमुआ, पलाही, परसीनी, चरहीया, गमहरिया, अकला, मलाही, टोला, मधुपुर, सोनील इत्यादि।	1000 ली०/दिन	20000 रु० लगभग	104 कि०मी०	टाटा 407-01, या समकक्ष	2,25,000/- (दो लाख पचास हजार) रु०	2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)	0	दूध/दुग्ध उत्पाद/शौध खराब होने वाले खादय पदार्थ/एक एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रकटन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुपम होने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
11	बड़कागोंव-कुसैदी बाजार	गोपालराज से बड़कागोंव, लार्दन बाजार, बधुआ बाजार, जमुनही बाजार, पचदेवरी, कटिया, भौर, इन्हैमूर, मिश्रवाटटी, कोबलावा, कुसैदी इत्यादि। (गोपालराज में काफ़ी सुनिश्चित की जाएगी।	500 ली०/दिन	20000 रु० लगभग	गोपालराज से दूरी आगे-जाना-120 कि०मी०	टाटा 407-01, या समकक्ष	1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रु०	200000/- (दो लाख)	0	दूध/दुग्ध उत्पाद/शौध खराब होने वाले खादय पदार्थ/एक एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रकटन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुपम होने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट: क्र०सं०- 01 से 07 पथों के चयनित निविदादाताओं को संबंधित वि० पथ/क्षेत्र में अलग-अलग इंसलेटिड गाड़ियों से दूध एवं दुग्ध उत्पादों का परिवहन एवं वितरण करना अनिवार्य है। मांग बढ़ने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गाड़ी लगाना अनिवार्य है।